सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-352/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 10 सितम्बर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अवैध शराब निष्कर्षण,परिवहन एव बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश के क्रम में अभियान को सफल बनाने हेतु दिनांक 09.09.2020 को जनपद के विभिन्न थानो द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत 60 लीटर व 101 शीशी अवैध शराब की बरामदगी करते हुए 09 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। थानो द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न है।

थाना-तहबरपुर

30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 गिरफ्तार

दिनांक 09.09.2020 को व0उ0नि0 बसन्त लाल,उ0नि0 श्री निरंकार गिरि मय हमराही का0 मनोज कोरी द्वारा मुखबिर की सूचना पर तहबरपुर बाजार के टीकापुर मोड से तीन व्यक्तियो क्रमशः 1. प्रमोद यादव पुत्र सीता यादव निवासी ग्राम खुटौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ। 2. पप्पू निषाद पुत्र झिनक निषाद निवासी ग्राम मेढी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ। 3. अंगद निषाद पुत्र अमीरी निषाद निवासी ग्राम मेढी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ के पास से प्लास्टिक की पिपिया से 10-10 लीटर (कुल 30 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ समय 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमश 1. मु0अ0सं0 58/20 धारा 60 आबकारी एक्ट 2. मु0अ0सं0 59/20 धारा 60 आबकारी एक्ट 3. मु0अ0सं0 60/20 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

थाना निजामाबाद

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 गिरफ्तार

उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि परसहा पुलिया वहद ग्राम परसहां पर एक व्यक्ति कच्ची शराब बेचने के लिये जा रहा है कि मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराहीयान द्वारा मौके पर पहुच कर परसहां पुलिया पहुच कर चेकिंग किया जा रहा था कि बडहरिया के तरफ से आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को रोककर कर पूछताछ किया गया तो अपना नाम राधेश्याम पुत्र खरपत्तू साकिन कबीरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज शराब बरामद किया गया। जिसको समय करीब 22.15 बजे गिरफ्तार कर थाना स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0- 162/20 धारा 60Ex Act पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

थाना निजामाबाद

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

उ0नि0 श्री धन्नजय प्रसाद शुक्ल मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि सेन्टरवा मोड़ कस्बा निजामाबाद पर एक व्यक्ति कच्ची शराब बेचने के लिये जा रहा है कि मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराहीयान द्वारा मौके पर पहुच कर सेन्टरवा मोड़ पहुच कर चेकिंग किया जा रहा था कि सोफीपुर मोड के तरफ से आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को रोककर कर पूछताछ किया गया तो अपना नाम प्रह्लाद ठठेर पुत्र रामचेत ठठेर साकिन कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज शराब बरामद किया गया। जिसको समय करीब 22.30 बजे गिरफ्तार कर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0- 163/20 धारा 60Ex Act पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

थाना- अतरौलिया

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.09.2020 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह, उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव , का0 अवनीश सिंह का0 अविनाश विश्वकर्मा के द्वारा अभियुक्त हरिलाल पुत्र रामदेव निवासी रतुआपार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को कनैला पुल के पास से समय सुबह 7.00 बजे 10 लीटर अवैध कच्ची शराब एक पिपिया में ले जाते हुए गिरफ्तार कर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0 107/20धारा -60(1) EX ACT पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

हरिलाल पुत्र रामदेव निवासी रतुआपार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 107/20 धारा -60(1) EX ACT

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 27/19 धारा –60 EX ACT
2. मु0अ0सं0 69/20 धारा 60 EX ACT
3. मु0अ0सं0 95/20 धारा 60(1) EX एक्ट

थाना सरायमीर

33 शीशी अवैध देशी शराब के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

उ0नि0 विपिन कुमार यादव मय हमराही द्वारा पुना पोखर रेलवे क्रासिंग से अभियुक्त बरके आलम उर्फ पप्पू पुत्र मुतवल्ली सा0 सिराजी का पुरा, सरायमीर आजमगढ़ को 33 शीशी अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0-167/20 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना देवगांव

22 शीशी अवैध देशी शराब के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

उ0नि0 सुनील कुमार मय हमराही द्वारा बरशेरुवा से अभियुक्त अच्छेलाल पुत्र फुरधन सा0 अवदह, थाना देवगांव, आजमगढ़ को 22 शीशी अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0-201/20 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना फूलपुर

46 शीशी अवैध देशी शराब के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

उ0नि0 जावेद अजहर मय हमराही द्वारा कलवारी तिराहा से अभियुक्त संतोष पुत्र जितालाल सा0 कलवारी, थाना फूलपुर, आजमगढ़ को 46 शीशी अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0-225/20 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत किया गया।